हरियाणा सरकार

पीपीपी पोर्टल पर डेटा के स्व–अद्यतन की प्रक्रिया

10 अगस्त *2020*

परिवार पहचान पत्र
नागरिक संसाधन सूचना विभाग
हरियाणा सरकार

परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में पारिवारिक डेटा के स्व–अद्यतन की प्रक्रिया

1. नागरिक को पीपीपी में दर्ज अपने पारिवारिक सूचना को संपादित/अद्यतन करने के लिए यूआरएल https//meraparivar.haryana.gov.in पर जाकर "अपडेट फैमिली डिटेल" टैब पर क्लिक करना होगा।

2. अब नागरिक को अपनी 8 अंक (या पूर्व में जारी 12 अंक) की फैमिली आईडी दर्ज करनी होगी। फैमिली आईडी दर्ज करने के बाद परिवार के मुखिया के मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। यह वह मोबाइल नम्बर होगा जो पीपीपी डेटाबेस में पहले से ही संग्रहित है।

3. नागरिक द्वारा सही ओटीपी दर्ज करने उपरांत उसे पीपीपी पृष्ठ पर बिन्दु न. 02 के तहत दर्ज की गई फैमिली आईडी में पंजीकृत परिवार के सभी सदस्यों का डेटा दिखाई देगा।

4. पीपीपी में डेटा अपडेशन कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा सकता है। पोर्टल पर मौजूद परिवारों की विभिन्न संरचना के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं :–

   क. यदि परिवार की पारिवारिक संरचना (अर्थात् परिवार के सदस्यों की संख्या) क्षेत्र सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सिस्टम में पहले से ही सत्यापित हो चुकी है, और परिवार के लिए नागरिक द्वारा हस्ताक्षरित फार्म डेटाबेस में उपलब्ध है, तो नागरिक को परिवार में सदस्य जोड़ने की अनुमति होगी। हालाँकि, सदस्यों को हटाने या विलोपन की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

   ख. यदि परिवार की पारिवारिक संरचना अभी तक पीपीपी में सत्यापित नहीं है, तो नागरिक को परिवार के सदस्यों को जोड़ने या हटाने की अनुमति होगी। परिवार के सदस्य को हटाने के लिए, एक अलग फार्म खुल जाएगा जिसमें परिवार के सभी सदस्यों में से हटाये जाने वाले सदस्य का नाम और आधार नम्बर पूछा जाएगा। परिवार के सदस्य को हटाने की अनुमति केवल सत्यापन के बाद ही दी जाएगी और सदस्य का वास्तविक विलोपन पीपीपी पोर्टल पर क्षेत्र सत्यापन प्रक्रिया द्वारा उसकी प्रामाणिकता निर्धारित करने के उपरांत किया जाएगा।

   ग. इसके अलावा परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए संपादन की सुविधा पूर्व–निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध होगी।

घ. पीपीपी प्रपत्र (form) पर कुछ क्षेत्रों (fields) में संपादन की अनुमति केवल सॉफ्टवेयर आधारित सत्यापन पूरा होने तक ही दी जाएगी। उन क्षेत्रों के उदाहरण हैं – आधार नम्बर, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम। कुछ क्षेत्र जैसे की लिंग, जाति, मतदाता पहचान पत्र, में संपादन की अनुमति एक बार ही दी जाएगी व स्थानीय भाषा में नाम के संपादन की अनुमति दो बार दी जाएगी, जबकि बाकि अन्य क्षेत्रों में संपादन अनेकों बार करने की अनुमति होगी जोकि उपरोक्त बिन्दु नं. 1 से 4 का पालना अनुसार किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में अनेकों बार संपादन की अनुमति नहीं है, उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अन्य अद्यतन की अनुमति केवल लोकल कमेटी (LCs) द्वारा आयोजित पीपीपी शिविरों के माध्यम से ही दी जाएगी व इसकी जानकारी सम्बन्धित अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से समय–समय पर दी जाएगी।

5. नागरिक द्वारा पूरे परिवार का डेटा अद्यतन कर लेने के बाद वह इसे पोर्टल पर जमा कर सकता है।
6. नागरिक द्वारा सबमिट बटन दबाने के बाद, पीपीपी फॉर्म में अद्यतन/संपादन की सूचना के बारे में परिवार के मुखिया के मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा।
7. नागरिक संपादन मॉड्यूल के माध्यम से संपादित पीपीपी आवेदन, पीपीपी पोर्टल पर 'संपादित' के रूप में चिह्नित हो जाएगा।
8. इसके उपरांत, परिवार का कोई भी सदस्य यदि पीपीपी के साथ एकीकृत किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए सीएससी केंद्र अथवा लोकल कमेटी द्वारा आयोजित शिविरों में जाकर पीपीपी फॉर्म को प्रिंट करा सकता है, और नागरिक द्वारा उसे हस्ताक्षर किए जाने के बाद इसे वापस पीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। इससे अद्यतन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

...